भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1850

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीडीए के फ्लैटों में सुविधाएं

1850. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा एमआईजी फ्लैटों/आवासों के निर्माण से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है.

(ख) निर्माण के बाद डीडीए द्वारा फ्लैटों के प्रतिधारण की समयावधि क्या है;

(ग) दिल्ली के मोतिया खान में निर्मित डीडीए/एमआईजी फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के बाहर भी आवासों का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) विगत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित आवासों की राज्य-वार संख्या कितनी है:

(च) क्या डीडीए द्वारा अपने फ्लैटों और विशेषकर उक्त फ्लैटों में भूतल पर रहने वाले परिवारों के लिए पानी और अन्य सुविधाओं सहित उनके हितों/आवश्यकताओं का अच्छी तरह ध्यान रखा गया है;

(छ) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या ऐसे परिवारों को छतों पर पानी की टंकियां रखने की अनुमति है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) छत पर पानी की टंकी लगाने से दूसरों को रोकने वाले निवासियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचना दी है कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के योजना विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आवास की जरूरतों के आधार

पर मध्यम आय वर्ग सहित विभिन्न आय वर्गों के लिए फ्लैटों का निर्माण करता है। इस आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद, डीडीए का अभियांत्रिकी और वास्तुकला विभाग, प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार निर्माण कार्य करते हैं।

(ख): प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, डीडीए (आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियमन, 1968 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित फ्लैटों का निपटान कर दिया जाता है।

(ग): वर्ष 1990 में दिल्ली के मोतिया खान में डीडीए द्वारा कुल 312 एमआईजी श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण किया गया था।

(घ): डीडीए दिल्ली के बाहर आवासों का निर्माण नहीं कर रहा है।

(ड.): उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।

(च) और (छ): जी, हां। जब तक कोई क्षेत्र डीडीए के अधिकार क्षेत्र में रहता है, तब तक सभी नागरिक सुविधाओं का रख-रखाव डीडीए द्वारा किया जाता है। जब एक बार किसी क्षेत्र को गैर-अधिसूचित हो जाता है, तो उस क्षेत्र की जल और सीवरेज सेवाएं दिल्ली जल बोर्ड के नियंत्रण में आ जाती हैं, जबकि सड़कों, रास्तों, पार्कों, वर्षा जल निकासी आदि का रख-रखाव दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

(ज): डीडीए ने पहले ही सभी आवासीय क्षेत्रों में छतों पर जल भंडारण टैंक उपलब्ध करवा रखे हैं।

(झ): उपरोक्त (ज) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

*****